

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

20 सतिंबर, 2022 को राजस्थान वधानसभा ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 को ध्वनमित से पारति कर दिया । सहकारिता मंत्री आंजना उदयलाल ने वधियक सदन में प्रस्तुत किया था ।

प्रमुख बदि

- वधियक पर चर्चा के बाद सहकारिता मंत्री ने इसके उद्देश्यों व कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संशोधित वधियक में सहकारी समितियों के दक्ष कार्यकरण के लिये लंबी सेवा वाले एवं अनुभवी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 28 की उप धारा (7-क) को हटाया गया है ।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 28 की वदियमान उप-धारा (7-क) यह उपबंध करती थी कि कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नरिवाचन के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम सं. 11) के प्रारंभ के पश्चात् उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिये नरिवाचति या सहयोजति किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की कालावधिव्यतीत नहीं हो चुकी है ।
- इससे पहले वधियक को सदस्यों द्वारा प्रचारति करने के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनमित से अस्वीकार कर दिया ।